



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 फरवरी 2018—माघ 16 शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2018

अधि. क्र. 06-एफ-1-14-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर परिषद् में वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिए उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

स. क्र.	नगर परिषद का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	चरित्र सत्यापन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. जिला—पन्ना				
1	देवेन्द्र नगर	1	श्री उमेश शर्मा श्री देवीदत्त शर्मा वार्ड नं. 3 बस स्टैण्ड के पास देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना.	पात्र
		2	श्रीमती कल्पना जैन श्री लक्ष्मीचंद्र जैन माडल स्कूल के पास सलेहा रोड देवेन्द्र नगर, जिला पन्ना, म.प्र.	पात्र
2	अमानगंज	1	श्री संजय तिवारी श्री राजकुमार तिवारी पतारा अमानगंज, जिला पन्ना, म. प्र.	पात्र
		2	श्रीमती आशारानी राजपूत श्री मस्तराम राजपूत अधरकुआं अमानगंज, जिला पन्ना	पात्र

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	पवई	1	श्री अनूप छिरौल्या श्री रत्नलाल छिरौल्या भितौनीगंज पवई, जिला पन्ना, म.प्र.	पात्र
		2	श्रीमती संतोष मिश्र श्री रमेश कुमार मिश्र एस.डी.ओ. कालोनी मोहन्ना रोड पवई, जिला पन्ना, म. प्र.	पात्र
4	अजयगढ़	1	श्रीमती मंजू कुशवाहा श्री गोविन्द कुशवाहा वार्ड नं. 7 अजयगढ़, जिला पन्ना.	पात्र
5	ककरहटी	1	श्री दिनेश पाण्डेय श्री शंभूप्रसाद पाण्डेय वार्ड नं. 8 ककरहटी, जिला पन्ना.	पात्र
		2	श्रीमती नफीशा बानो श्री नयूम मोहम्मद वार्ड नं. 10 ककरहटी, जिला पन्ना, म. प्र.	पात्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, उपसचिव.